96

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर, 1994 (अग्रहायण 11, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गौरी शंकर शेजवार, सदस्य, लोक शिक्षण कार्यालय द्वारा पाठ्यक्रम में हेराफेरी कर प्रकाशकों को लाभ पहुंचाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम कोनी के दो व्यक्तियों का डकैतों द्वारा अपहरण करने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, विदिशा के आसपास के क्षेत्रों में पत्थरों के अवैध उत्खनन की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री गोपाल परमार, तथा यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले की जामनी नहर के टूटने से फसलों की हुई क्षति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्री बच्चन नायक, तथा श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, राजगढ़ जिले के खिलचीपुर के समीप पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मृत्यु होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) डॉ. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी न मिल पाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के अनेक क्षेत्रों में मेंगनीज के अवैध उत्खनन की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य, होशंगाबाद जिले में तवा नहर से सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी न मिल पाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 245-भोजपुर के सदस्य श्री सुन्दरलाल पटवा को विधान सभा के नवम्बर-दिसम्बर, 1994 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 121-पामगढ़ के सदस्य श्री दाऊराम रत्नाकर को विधानसभा के नवम्बर-दिसम्बर 1994 सत्र में दिनांक 29 नवम्बर से 18 दिसम्बर, 1994 तक बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, देवास जिले के ग्राम पीपल्दा में शासकीय माध्यमिक शाला खोले जाने,

(2) श्री झल्लूलाल तेकाम, सदस्य, मण्डला जिले के -

(क) ग्राम नाहरबेली में पम्प द्वारा सिंचाई योजना लागू किये जाने, एवं
(ख) ग्राम घुघरी एवं सलवाह के बीच बुढ़नेर नदी पर पुल या रपटा बनाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

-2-